न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास पुष्पा हरवानी (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 33/18 दावा

निर्णय दिनांक 8.10.2019

बउनवान

सोहनलाल पुत्र बजरंगलाल जाति नाई निवासी धूलेट तहसील कनवास।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव।
प्रतिवादीगण राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188, आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88,89,188, के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2050–2053 खाता संख्या नई 491 के खसरा नबंर 457/881 की रकबा 8 बीघा किस्म बारानी सोयम लगानी 3/– रूपये की स्थित है। जिस पर वादी सदैव से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। तथा आज भी काबिज काश्त है। जिसमें वादी ने सरसोंकी फसल बोई थी, तथा वर्तमान में भी हांक जोतकर तारामीरा की फसल बोने के लिये तैयार कर रखा है।

यह कि सेटलमेन्ट सम्वत् 2058–2077 के दौरान सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के मनमाने तरीके से अवैधानिक रूप से वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित आराजी को खातेदारी से हटाकर सिवाय चक दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेंट कर्मचारियों को खाते की मूल प्रविष्टियों को बदलने व नई प्रविष्ठियां कायम करने का कानूनन कोई विधिक अधिकार हासिल नंही था।

यह कि सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा वादी के खाते की उक्त आराजी के साथ ही खसरा नबंर 457 की सम्पूर्ण रकबा 119 बीघा 03 बिस्वा आराजी को ही सिवायचक दर्ज कर दिया तथा उसके कई सारे नवीन खसरा नबंर कायम कर दिये हैं। तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस के मुताबिक वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की वाद पत्र के पैरा नबंर 01 में वर्णित आराजी के नवीन खसरा नबंर 1525 की रकबा 1.00 हे0, खसरा नबंर 1526 की रकबा 0.23 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.23 है0, कायम किये गये हैं। जिन पर वादी वर्तमान में काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसमें वादी ने गतवर्ष सरसोंकी फसल बोई थी उसके पूर्व भी तिल्ली व चने की फसले बोई थी, तथा वर्तमान में भी तारामीरा की फसल बोने के लिये हांक जोत कर तैयार कर रखा है।

यह कि सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित आराजी को खाते से हटाकर सिवायचक दर्ज कर देने से वादी को अपने ही खाते की भूमि से वंचित होना पड रहा है। जबकि वादी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है तथा वादी के

उप खण्ड अधिकारी

परिवार के पालन पोषण का एक मात्र जरिया उक्त आराजी ही है। यदि उक्त आराजी वादी के खाते से निकल गई तो वादी के परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जावेगी।

यह कि वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त आराजी के सिवायचक दर्ज होने से राजस्व कर्मचारी वादी को जबरन बेदखल करने व प्रभावशाली व्यक्तियों को मिलजुल कर उस पर काबिज करवाने पर आमादा है। जिसका उन्हें कोई अधिकार हासिल नंही है।

यह कि वादी को अपने खातू एवं कब्जे काश्त की वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित आराजी के सिवायचक दर्ज होने की जानकारी नकल जमाबंदी व अन्य नकलें तहसील कनवास से दिनांक 09.08.2016 को निकलवाने व फिर पटवारी हल्का से सम्पर्क कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड की नकलें दिनांक 24.09.2016 को लेने पर हुई इसलिये वाद कारण अंतिम मर्तबा दिनांक 24.09.2016 को पटवारी जी से नकले लेने व उनके द्वारा राजस्व न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद पेश करने की कहने पर पैदा हुआ।

यह कि वादी को कानूनन यह विधिक अधिकार हासिल है कि वह वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित आराजी जिसके वर्तमान खसरा नबंर 1525 की 1.00 हे0, व खसरा नबंर 1526 की 0.23 है0, कुल किता 02 की कुल रकबा 1.23 है0, आराजी को जर्ये इन्द्राज दुरूस्ती व हक घोषणा के माननीय न्यायालय से वापस अपने आप को उसका खातेदार कृषक घोषित करवा लेवें तथा साथ ही प्रतिवादी व उसके प्रतिनिधियों को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवा लेवें कि वह वादी के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजी से वादी को जबरन बेदखल न करें ना ही किसी अन्य व्यक्ति को उस पर कब्जा करवायें और नां ही वादी को बेदखल करने की कार्यवाही करें। इसलिये यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादी को जारी की गई। प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा बिन्दूवार जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धूलेट की आराजी खसरा नबंर 1525 की रकबा 1.00 है0, खसरा नबंर 1526 की रकबा 0.23 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.23 है0, भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खाता सरकार सिवायचक रेकार्ड है।

यह कि उक्त आराजी साबिक खसरा नबंर मि. 457 से मिलान क्षेत्रफल अनुसार दर्ज हुयी।

यह कि उक्त साबिक खसरा नबंर 457 रकबा 119 बीघा 03 बिस्वा में से आवंटन होने से मि0 नम्बर दर्ज हुये हैं।

यह कि आराजी खसरा नबंर 1525 की 1.00 है0, खसरा नबंर 1526 की 0.23 है0, भूमि वक्त भू. प्रबन्ध कार्य के आंवटन बेशी होने से सेटलमेन्ट आयुक्त द्वारा सिवायचक दर्ज की गयी है। जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी सिवायचक दर्ज रिकार्ड है।

यह कि उक्त आराजी सिवायचक भूमि है। और वादी उस पर अतिक्रमी की हेसियत से काबिज है। इसलिये अतिक्रमी को खातेदार कृषक घोषित नंही किया जा सकता है।

यह कि वादी द्वारा भू.प्रबन्ध आयुक्त के फैसले के खिलाफ कोई अपील नंही की गयी है। इसलिये अतिक्रमी वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्याय संगत नंही है।

यह कि वादी के वाद पत्र व प्रतिवादी के जवाब दावा के बाद न्यायालय द्वारा निम्न तनकियात कायम की गइ–

1. आया वादी के खाते की आराजी ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास के खसरा नबंर 457/881 की 8 बीघा भूमि स्थित है, जिसे दौराने सेटलमेन्ट संवत 2058 से 2077 में सेटलमेंट कर्मचारियों ने बिना किसी विधिक अधिकार के अवैधानिक तरीके से वादी के खातेदारी से हटाकर सिवायचक दर्ज कर दिया है।

वादी

2. आया सेटलमेंट कर्मचारियों को खाते की मूल प्रविष्टियों को बदलने व नई प्रविष्टिया कायम करने का कानुनन कोई विधिक अधिकार हासिल नंही है।

वादी

उप खण्ड अधिकारी

3. आया वादी वर्तमान खसरा नबंर 1525 की रकबा 1.00 है0, व खसरा नबंर 1526 की 0.23 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.23 है0, पर काबिज काश्त है, जो पूर्व खसरा नबंर 457/881 से बने हैं।

4. आया वादी कानूनन माल ग्राम धूलेट की वर्तमान खसरा नबंर 1525 की रकबा 1.00 है0, व खसरा नबंर 1526 की रकबा 0.26 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.23 है0, आराजी को माननीय न्यायालय से जर्ये इन्द्राज दुरूस्ती व हक घोषणा करवा कर वापस अपने खाते दर्ज करवा कर उसका खातेदार कृषक घोषित करवाने का अधिकारी है।

वादी

5. आया वादी प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वादी के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित खसरा नबंर 1525 की रकबा 1.00 है0, व खसरा नबंर 1526 की 0.23 है0, कुल किता 2 की रकबा 1.23 है0, आराजी पर से वादी को जबरन बेदखल नंही करें नांही अन्य व्यक्ति का उस पर कब्जा करवाये ना ही वादी को बेदखल करने की कोशिश करें।

वादी

6. आया उक्त आराजी सिवायचक भूमि है और उस पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है, इसलिये उसे खातेदार घोषित नंही किया जा सकता है।

प्रतिवादी

7. आया वादी द्वारा भू–प्रबन्ध आयुक्त के फैसले के खिलाफ कोई अपील नंही की गई है, इसलिये अतिक्रमी वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्याय संगत नंही है।

प्रतिवादी

8. दादर्शी

यह कि तनकीयात क्रम 01 लगायत 5 को सिद्व करने का भार वादीगण पर है, तथा तनकी संख्या 06 व 07 को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर है। वादीगण की ओर से दौराने शाहादत वादी में स्वयं का शपथ –पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिरह की गई।

तनकी नबंर 01 व 02 व 07→ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श – 1 नकल जमाबंदी सम्वत 2050–53 में खाता संख्या 491 खसरा नबंर 457/881 रकबा 8 बीघा में काश्तकार नाम के कॉलम में सोहनलाल पुत्र बजरंगलाल जाति नाई गैर खातेदार अंकित है। प्रदर्श–2 जमाबंदी वर्ष 2058–66 में काष्त काश्त केकॉलम में सोहनलाल अंकित है। प्रदर्श–2 में ही अंकित नोट श्रीमान श्रीमान भू. प्रबन्ध आयुक्त महोदय जयपुर राजस्थान के आदेश क्रमांक 1571 दिनांक 28.05.2003 जर्ये उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया। प्रार्ी का यह कथन है कि सेटलमेंट अधिकारियों को बिना सक्षम आदेश के आराजी को सिवायचक करने का अधिकार नंही था। समर्थन में आर.आर.डी. 2013(1) हरिनारायण बनाम भागीरथ पेज नबंर 232, आर.आर.डी. 2009(2), मोहम्मद मुस्ताख बनाम पीरू वगैरा पेज नबंर 954, आर.आर.डी. 2008(1) हनुमान राम बनाम श्रवण कुमार वगैरा पेज नबंर 150, आर.आर.डी. 2007(1) इन्द्रकुमार बनाम राजस्थान पेज नबंर 26 की नजीरे पेश की जो कि स्वीकार है, किन्तु उक्त नजीर से स्पष्ट है कि बिना सक्षम आदेश के ऐसा नंही किया जा सकता है। किन्तु उक्त आराजी श्रीमान भू.प्रबन्ध आयुक्त के आदेश से सिवायचक किया जाना अंकित है। श्रीमान आयुक्त महोदय के आदेश के विरूद्व अपील की जा सकती थी। प्रार्थी द्वारा अपील नंही की गई। ऐसे में सक्षम आदेश से उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है, जिसे प्रार्थी द्वारा चुनौती जर्ये अपील नंही की गई, को उचित मानते हुये तनकी वादी विरूद्व स्वीकार की जाती है।

तनकी नबंर 03 को सिद्व करने का भार वादी पर है, कि खसरा नबंर 457/881 में नवीन खसरा नबंर 1526 व 1525 बने हैं, उक्त समर्थन में मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 प्रस्तुत किया जिससे यह

उपखण्ड अधिकारी

स्पष्ट होता है, 1525, 1526, 457 मि. नमबर से बने हैं। किन्तु यह साबित नंही है कि इसके पूर्व खसरा नबंर 457/881 है। पत्रावली पर वादी द्वारा प्रस्तुत बदर–पत्र प्रदर्श–7 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि खसरा नबंर 1525, 1526 के गत खसरा नबंर 457/840 है। अतः उक्त तनकी भी वादी विरूद्वं स्वीकृत की जाती है।

तनकी नबंर 04, 05 को सिद्व करने का भार भी वादी पर है, चूंकि तनकी संख्या 01,02, व 07 विरूद्व वादी तय की गई। ऐसे में वादी का आराजी का इन्द्राज दुरूस्ती व हक घोषणा कर अपने खाते में दर्ज करवाने का अधिकार शेष नंही रहेगा। वादी उक्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अतः उक्त तनकी भी विरूद्व वादी स्वीकृत की जाती है।

उक्त विवेचन से, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, तनकीयात, दौराने बहस वादी अधिवक्ता की दलीलों पर मनन करने पर, वादी द्वारा जर्ये वाद में चाहे गये अनुतोष यथा खसरा नबंर 457/881 नवीन खसरा नबंर 1525 रकबा 1.00 है0, व खसरा नबंर 1526 रकबा 0.23 है0, पर खातेदारी अधिकार का दावा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9-10-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कमवास